

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री बाबूलाल गोयल।

अपील संख्या 18/2021 जिला-दौसा।

गंगाबिसन पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 29.01.2021 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 73/2020 उपस्थित-

1. वकील अपीलान्ट श्री गोर्धन गुर्जर।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक-15.09.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.01.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 02.03.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील गंगाबिसन बनाम नायब तहसीलदार सिकराय में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 के द्वारा अपील खारीज कर न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2020 सरकार बनाम गंगाबिशन में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 यथावत रखा गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 तथा नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक 14.08.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का गांगदवाडी ने एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार सिकराय में पेश की गई कि अपीलांट ने ग्राम गांगदवाडी गांगदवाडी ने संवत् 2077 में खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है 0 किरम चारागाह भूमि में से 0.10 है 0 भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा गलत रूप से अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अपीलांट को लगान 0.60 का 50 गुणा 30 रु व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का निर्णय दिनांक 14.8.2020 पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय ने अपीलांट को बिना सुनवाई और सबूत का मौका दिये बिना ही एकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जबकि सजा जैसे प्रकरण में पिडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका दिया जाना आवश्यक था। अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय को अति. जिला कलक्टर दौसा ने यथावत रख कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया तथा अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का भी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जयपुर

अवसर नहीं दिया। अपीलांट पश्चातवृत्ति अतिक्रमणी नहीं है। अपीलांट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट का कोई एक भी तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी दोषी मानकर सजा देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अपने तथ्य रखे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का निर्णय विधि विधान एवं न्याय के सामान्य प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 तथा न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2020 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2021 का है लेकिन अपीलांट को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 23.02.2021 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे
7. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के समक्ष पटवारी हल्का गांगदवाडी द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने ग्राम गांगदवाडी की आराजी खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है. किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर बाजरे की काश्त कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण किया है। जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण संख्या 87/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को तलब किया गया तथा प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा ने दिनांक 14.08.2020 को निर्णय पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुये 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमण रकबे से बेदखल करने व वार्षिक लगान 0.60 रूपये का 50 गुणा 30/-रूपये शास्ति आरोपित किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा शीर्षक अपील गंगाविसन बनाम नायब तहसीलदार सिकराय में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 पारित कर अपील अपीलांट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 14.08.2020 को यथावत रखा गया।
8. हम समझते हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम गांगदवाडी की आराजी खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 24.44 है0 किस्म चारागाह भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर बाजरे की काश्त कर पश्चातवर्ति अतिक्रमण किये जाने पर गैरसायल (वर्तमान अपीलांट) पश्चातवर्ति अतिक्रमी घोषित होने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

M  
15/9/2021.  
(बाबूलाल गोयल)  
अति-सम्भागीय आयुक्त,  
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

M  
15/9/2021.  
(बाबूलाल गोयल)  
अति-सम्भागीय आयुक्त,  
अतिरिक्त जयपुर